

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 291] No. 291] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 15, 2016/आषाढ़ 24, 1938

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15, 2016/ASADHA 24, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2016

फा.सं.1-12/मानक /एस. पी.(मधु, मधुकारक)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2015.—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2016 का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. फा. सं. 1-12/मानक /एस. पी.(मधु, मधुकारक)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2015, तारीख 19 अप्रैल, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थी, तीस दिनों की अविध की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे:

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 27 अप्रैल, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया था;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

3576 GI/2016 (1)

विनियम

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) पाँचवा संशोधन विनियम, 2016 है।
- (2) ये 1 अगस्त, 2017 और उसके पश्चात प्रवृत्त होंगे।।
- 2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.11 के उप-विनियम 2.11.4 के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
- "2.11.4 : सिल्वर लीफ (चाँदी का वर्क) खाद्य श्रेणी-
 - (i) एकसमान मोटाई की, चुनटों और मोड़ों से रहित, परतों के रूप में होगा;
 - (ii) 2.8 ग्रा./वर्ग मीटर तक सिल्वर फोयल के भर वाला होगा;
 - (iii) न्यूनतम 999/1000 शुद्धता की चाँदी अंतर्वस्तु वाला होगा;
 - (iv) किसी भी प्रक्रम पीआर पश् मूल की किसी सामाग्री का उपयोग करके विनिर्मित नहीं किया जाएगा;
 - (v) खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अविषष्ट) विनियम, 2011 तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के उपबंधों के अनुसार होगा।"

[फा. सं. 1-12/मानक /एस. पी. (मधु, मधुकारक)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2015]

आशीष बहुगुणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे उसके पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना सं. द्वारा संशोधन किए गए:

- (i) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;
- (ii) फा. सं. पी. /15014/1/2011-पीफए/एफ़एसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013;
- (iii) फा. सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013;
- (iv) फा. सं. पी. 15025/262/2013-पीए/एफ़एसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014;
- (v) फा. सं. 1-83एफ/एससीआई॰ पीएएन–अधि॰/एफ़एसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;
- (vi) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015;
- (vii) फा. सं. पी. 15025/263/13-पीए/एफ़एसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- (viii) फा. सं. पी॰ 15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- (ix) फा. सं. 7/15015/30/2012, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- (x) फा. सं. पी. 15025/208/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- (xi) फा. सं. पी. 15025/261/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- (xii) फा. सं. 1-10(1)/स्टैण्डर्ड्स/एसपी(फिशएंड फिशरिज प्रोडक्ट्स)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 11 जनवरी, 2016;

- (xiii) सं. 3-16/विनिर्दिष्ट खाद्य/अधिसूचना (खाद्य सहयोज्य)/एफएसएसएआई-2014, तारीख 3 मई, 2016;
- (xiv) फा. सं. 15-03/ईएनएफ़/एफएसएसएआई-2014, तारीख 14 जून, 2016 और
- (xv) फा. सं. 3-14एफ/अधिसूचना (न्यूट्रास्टिक्ल्स)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 13 जुलाई, 2016।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2016

F. No. 1-12/Standards/SP (Sweets, Confectionery)/FSSAI-2015.— Whereas the draft Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2016, were published as required by sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No. 1-12/Standards/SP (Sweets, Confectionery)/FSSAI-2015, dated the 19th April, 2016, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 27th April, 2016;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 read with section 16 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, namely:—

Regulations

- **1. Short title and commencement. -** (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Fifth Amendment Regulations, 2016.
 - (2) They shall come into force on or after 1st August, 2017.
- 2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, in regulation 2.11, for sub-regulation 2.11.4, the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
 - "2.11.4 SILVER LEAF (Chandi-ka-warq): food grade shall,-
 - (i) be in the form of sheet of uniform thickness, free from creases and folds;
 - (ii) have weight of silver foil upto 2.8 gm/Sq meter;
 - (iii) have silver content of minimum 999/1000 fineness;
 - (iv) not be manufactured using any material of animal origin at any stage;
 - (v) be in accordance with the provisions of the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011 and the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling), Regulations, 2011".

[F. No. 1-12/Standards/SP (Sweets, Confectionery)/FSSAI-2015]

- **Note:** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide the following notification numbers:-
 - (i) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 7th June, 2013;
 - (ii) F. No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated the 27th June, 2013;
 - (iii) F. No. 5/15015/30/2012, dated the 12th July, 2013;
 - (iv) F. No. P.15025/262/13-PA/FSSAI dated the 5th December, 2014;
 - (v) F. No.1-83F/Sci.Pan-Noti/FSSAI-2012 dated the 17th February, 2015;
 - (vi) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 4th August, 2015;
 - (vii) F. No P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;
 - (viii) F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;
 - (ix) F. No. 7/15015/30/2012, dated the 13th November, 2015;
 - (x) F. No. P.15025/208/2013-PA/FSSAI, dated the 13th November, 2015;
 - (xi) F. No P.15025/261/2013-PA/FSSAI, dated the 13th November, 2015;
 - (xii) F. No. 1-10(1)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated the 11th January, 2016
 - (xiii) No. 3-16/ Specified Foods/Notification(Food Additive)/FSSAI-2014, dated the 3rd May, 2016;
 - (xiv) F. No. 15-03/Enf/FSSAI/2014, dated 14th June, 2016 and
 - (xv) No. 3-14F/Notification (Nutraceuticals) /FSSAI-2013, dated the 13th July, 2016.